रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 1983/श्रावण 6, 1905
No. 123] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 1983/SRAVANA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 25-आई०टी०सी० (पीएन)/83

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1983

विषय :—कलकत्ता मैट्रो रेलवे (फेस-2) विनिर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 4.8 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आईपीसी 23 (4)/83—विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) जापान से कलकत्ता मैट्रो रेलवे (फेस-2) विनिर्माण परियोजना के अन्तर्गत येन 4.8 बिलियन के माल और सेवाओं का आयात करने के संबंध में आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात।

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 25-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 28 जुलाई, 1983 का परिशिष्ट-I

कलकत्ता मैट्रो रेलवे (फेस-2) निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए 4.8 बिलियन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खंड-1—सामान्य शर्तें :—

1(1) कलकत्ता मैट्रो रेलवे (फेस-2) निर्माण परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तदान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किया गया 4.8 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते है, जिनके लिए

महानिदेशालय, तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सों) का मूल्य येन 5,000 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई डीपी-22 होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस०/जे० सी०" कोड होगा। भारतीय रेलवे को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल भारतीय रेलवे के नाम में ही आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) भारतीय रेलवे की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 5,000 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि भारतीय रेलवे द्वारा आवेदन करने पर 31-12-87 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्त दान किए जाने वाले आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हों, तक प्रतिबन्धित हैं।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया जाएगा।

"पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नही है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नही समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यु ई०-1 अनुभाग को नही पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नही दिए जा सकते हैं तो 4 महीनों के भीतर आदेश क्यों नही दिए जा सके। इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस को सबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। आदेश देने की अवधी में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जोकि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंस प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन तय किए गए संभरण ठेकों के संबंध में साख पत्र स्थापित करने पर, समतुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से 4 महीनों के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग-2 भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ....महीने परन्तु अधिक से अधिक ....के अन्त तक पूर्ण किया जाता है।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-87 के बाद की न हो।

खंड-2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2 (1) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य (येन के भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओईसीएफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप में परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार-पत्र में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारण्टी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारण्टियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रिया-विधि अपनाएगी :—

(क) जहां आयातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न लें या औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वहीन न हो जाएं।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आयात अधिप्राप्ति के मामले में।

(ङ) किन्तु यदि यह प्रस्तावित किया जाए कि ऋण की रकम में से विसदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनायी जाए तो निधि की अधिप्राप्ति तरीके (तरीकों) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा आवेदनपत्र भेजकर जिसमें उसके औचित्य भी दिए हों, निधि की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(च) माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले आयातक निधि को बोलीकारों के लिए सभी सूचनाएं और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली लगाने से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उसके अनुमोदन के लिए भेजेगा।

ऊपर संकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनायी जाए जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

(1) औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना ;

(2) अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ;

(3) एक संभरक से सीधा क्रय।

भारतीय रेलवे ऋण समझौते की संविदा तय होने के तुरन्त बाद सभी सूचनाओं और बोलीदाताओं के लिए अनुदेशों, बोली प्रपत्र, संविदा की सामान्य शर्तों, विशिष्टकरण और ड्राइंग और बोली से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां निधि (विदेशी आर्थिक सहायता निधि-ओ ई सी एफ) को अनुमोदनार्थ भेजेगा। ओ ई सी एफ को भेजे जाने के लिए इन दस्तावेजों की दो प्रतियां अवर सचिव (टी०ए०), आर्थिक कार्य विभाग को भेजी जानी चाहिए।

निधि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र/दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिए।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1982-83 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी० —22 के

अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खंड-6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) संभरक की पात्रता :—

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा न्यायिक व्यक्ति होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे और जिनका नियंत्रण पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा।

2(7) संविदा में घोषणा :—

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल .... में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है।

$$\frac{\text{आयातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य (कारखाना मूल्य जहां लागू हो)}} \times 100$$

और

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ....(पात्र स्रोत देश) का नाम में ....(कम्पनी का नाम)........समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।"

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है, उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मद-वार आधार पर आयातित 30 प्रतिशत से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में कारखाना मूल्य को ही मानना होगा)}} \times 100$$

खंड 3—असंभरक ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेको में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेकों की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच भारतीय रेलवे परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई०डी०पी०—22 (परियोजना सहायता) से संबंधित 23 फरवरी, 1983 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह कलकत्ता मैटरो रेलवेज परियोजना (फेस-2) निर्माण परियोजना तथा भारत सरकार की स्वीकृति शर्तों के अनुसार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आई०डी०पी० 22 से संबंधित 23-2-1983 को हुए क्रय समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपात्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूची सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) 2(7) मे उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में।

3(2) यदि किसी मामले मे संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोतलदान से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों मे, जहा भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड 4—अविदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा ठेके का अनमोदन :—

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय रेलवे और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की 4 प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आदेश के

साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां सगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य अशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, भारतीय रेलवे विकास परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई डीपी-22 (परियोजना सहायता) कलकत्ता मैटरो रेलवेज (फेस-2) निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०-सी०एफ०) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड-5—विदेशी संभरकों को भुगतान-साखपत्र क्रियाविधि :—

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा रेल मंत्रालय, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दी दे जाएगी। उसके बाद रेल मंत्रालय को सहयता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी०ए०ए०ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यु० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न-प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी० ए० ए० एंड ए० संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र में अनुबन्ध 4 में दिए गए के अनुसार अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा को संबोधित अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) में संलग्न प्रपत्र अथवा अनुबन्ध -6 (सेवाओं के लिए) में एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा।

प्राधिकरपत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियों, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध 5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियों, भारत में संभरक के बैंक और सहायता लेखा और लेखा परीक्षक नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी० ए० ए० एण्ड ए० से प्राधिकारपत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा में संशोधन के लिए, या अन्यथा रूप से आवश्यक समझे जाने वाले प्राधिकारपत्र/साखपत्रों के ऐसे सभी संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियों को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियों दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र को खोलने, रख-रखाव और परिचालन पर किए गए सभी खर्चे विदेशी संभरकों या आयातकों के लेखे में जाएगें। अतः भारतीय-बैंक, टोकियो संभरक बैंक से सभी खर्चे प्राप्त करेगा, दस्तावेजों को संभाल के रखने और मोल-तोल करने और अन्य आकस्मिक खर्चे भी संभरकों द्वारा किए जाएंगे।

सम्भरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच का समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा ब्याज भुगतान पर किया गया खर्च भारतीय रेलवे [देखें खड-6 (4)] से प्राप्त किया जाएगा।

खड-6—रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व :

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिष्ट में संकेतिक अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर के परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किए जाते हैं।

संभरक को भुगतान की गयी विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपया जमा करवाने पर बैंकर से प्राप्त कुल जहाजरानी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ही आयातक आयातित माल की सुपुर्दगी ले सकता है। इस प्रक्रिया में किसी भी छूट के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली से अनुमति लेनी चाहिए।

विदेशी सम्भरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय

की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-7-76 में निर्धारित तरीके अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह 'के डिपोजिट्स एंड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसट्रा परचेज अन्डर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट' लोन परचेजिज सर्वसूमेटएजाफ जापान 4.8 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई०डी०पी 22 कलकत्ता मेटरो रेलवे (फेस-2) निर्माण परियोजना' होना चाहिए। लेकिन उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना 31-5-74 में उल्लिखित ब्याज प्रभार की गणना करने और जमा करने से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के संबंध में किसी भी प्रकार के ब्याज प्रभार वसूल करने योग्य नहीं है।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-4-68, सं० 2133-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम 'धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे' में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एंड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयात के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एंड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सुचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एस' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए। भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को दिए गए ब्याज प्रभार आदि के अनुसार हीं येन भुगतान के तुल्य रुपये की गणना की उपर्युक्त खंड 6 की कंडिका 6(1) में निर्धारित तरीके से की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, के नाम में जमा करा दिया जाएगा और सी ए ए एंड ए इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परामर्श जारी करेगा।

खंड 8 विविध व्यवस्थाएं :—

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट—

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) विशेष शर्तों को अधिसूचित किए जाने वाले संभरण :

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद :—

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियों द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें 'अनुबन्ध-3 में' भुगतान की शर्तों के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश :—

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी

प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी 22 के अधीन सभी आधारों की विदेशी आर्थिक निगम निधि जापान (ओ ई सी एफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनदेशो या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना चाहिए।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों की अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची —

1. अनुबन्ध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबन्ध-3 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5 साखपत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6 साखपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)
7. अनुबन्ध-7 प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ०पी०ई०सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा
   मिश्र
   मोरोक्को
   तुनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा
   अंगोला
   बोत्सवाना
   बरण्डी
   कैमेरुन
   केप वर्डी द्वीप समूह
   केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
   चाद
   कमोरी द्वीप समूह
   कांगो डाहिमें का गणतंत्र
   भूमध्य गिनी (1)
   इथोपिया
   जाम्बिया
   घाना
   गिनी
   आइवरी कोस्ट
   केनिया
   लेसोथो
   लाइबीरिया
   मालाधासी गणतंत्र
   मालावी
   माली
   कोस्टारिका
   क्यूबा
   डोमिनिकान गणतंत्र
   ई०आई० माल्वेडोर
   ग्वाटे लीप
   ग्वोड़े माला
   हेती
   होण्डूरस
   मारितेनिया मारीशस
   मुजाम्बीक
   नाइगर
   पूर्तगाली गिनी
   रिबुनियन
   रोजेशिया
   रवान्दा
   सेट हेलिना और द्वीप (2)
   सायोटीमा और प्रिंसाइब
   सेनेगाल
   सेचोलोज
   सियरा लिओन
   सोमालिया
   सूडान
   स्वाजी लैण्ड
   टेरी आवर्स और इसास
   टोगो
   युगाण्डा
   तंजानिया संयुक्त गणतंत्र
   अपर वोल्टा
   लाइरे गणतंत्र
   जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय
   बाहमस
   बारबाडोस
   बेलीज
   बैरमुड

4. दक्षिणी अमेरिका
   अर्जेंटीना
   बोलिविया
   ब्राजील
   चिली

कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

5. यूरोप
साईप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप समूह एंटिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स (सेंटक्रिटाफे), नेविस-एंगियुला, सेंट लुसिया और सेंट विसेंट।

(2) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात, नेमान, तुर्क, और काईकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।

(3) अजमान, दुबई, फुजाइरह, रास अल खैमाह, शारजाह और उम अल क्वैन।

(4) अदन और विभिन्न सुलतनत आर अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोट जाम्बीअर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश कोरोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (ग्राम को छोड़ कर)।

(क-2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियनअरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
समुद्री अरब
अबुधाबी
इण्डोनेशिया
जैमेका
मार्टिनिका
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एनटिलीज
निकारगुवा
पनामा
सेंट पियरो और मिक्योलोन
ट्रिन्डाड और टोबागो
वेस्ट इण्डीज (शाख) एन०आई०ई०
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2) टोगों
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सुरिनाम
उरग्वे

5 मध्य पूर्वी एशिया
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी०आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बंगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरुनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र

8. ओसिनिया
की द्वीप समूह
फिजी

गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नीरु
न्यूकलेन्डोनिया
न्यू हृबीमिल हेसिसेस (ब्रा० और फ़ें०)
निगू
पेसिपिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापूबा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
टोंगा
वालिस और फ़ुतुना
पश्चिमी समाओं
लाओस

---

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डों पी द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
अमेन्शन, दिस्टन डा इन एक्सोसिविल्स, नाइटिंगेल गफ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब बोनेरे क्युराकाओ साहा, सेन्ट मारटिन (दक्षिणी भाग)।

अनुबन्ध—2

ओ० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन।

1. विज्ञापन

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिएं।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाए

2.1 बोली बाण्ड और गारंटिया

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं। लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्वों और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इस निदेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित करने के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के रूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाए (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तवान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।

(1) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग

निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं करानी है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमें की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनो पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश को भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य है।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्न-लिखित विवरण जोडा जाएगा:—"मैं (हम) एतद्द्वारा यह उल्लेख करते है कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शेयरों का·········· प्रतिशत ( ) (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और···प्रतिशत (निदेशक··········) पात्र स्रोत देश के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कंपनी, ·········(पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हे भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 बाण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हे एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें है।

4.3 गारन्टी निष्पादन बांड और रोकी रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा/निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न भिन्न होगी लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारन्टी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही बिल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिएं। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा इससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि. समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस की देने की व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी दवारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नही माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)।

7. झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिएं।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिएं। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना:--

9.1 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अंतरराष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृती दी जानी चाहिए। यहा पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भांति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रियाविधि--बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए। और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिएं। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन--बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरण को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एंव मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि--कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एंव मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया विधियों से औपचारिक रुप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जांच--बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी कोई गलती तो नही लिख दी गई है। क्या बोली दस्तावेज बिलकुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित है और क्या बोलियां सामान्यता अन्यथा रुप से सही है, यदि बोलियां मूल रुप से विशिष्टिकरण के अनुसार नही है या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या यथारुप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं--पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रुप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलिकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान--बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एंव शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली की किमत के अतिरिक्त अन्य बात जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एंव क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नही ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होना चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्त्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागु होनी चाहिएं। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना--बोली दस्तावेजों मे सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों की अस्वीकृती कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिएं। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकन बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित किमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए की वह उस कारण या उन

कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद अपनी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय — संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचितमानक को पूरा करता है। ऐसा बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय की एक शर्त के रूप में विष्टिकरण में निर्धारित पण्यवस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी लें :

अनुबन्ध—3

प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

सं० दिनांक

सेवा में,

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.

विषय:— येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अंतर्गत जापान से .... का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन .... से .... जो कि ..... के आयात के संबध में ..... (बैंक का नाम) जोकि वही होना चाहिए जो नीचे (ठ) में संबद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की सं० दिनांक और मूल्य वह तारीख जिस तक वैध हैं।

(ग) प्राप्ति के तरीके .... क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इनके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय हो तो उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इत्तर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत

(छ) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) समुद्रपार संभरक को देय वास्तविक (लागत और भाड़ा) मुल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकारपत्र मांगा गया है।

(न) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गयी संविदा की सं० एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ढ) भारतीय बैंक, टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की सं० और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गयी है या नही, निर्दिष्ट कीजिए।

(स) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है।

(द) क्या भारतीय बैंक टोकियो को देय अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने और रख-रखाव के खर्चे आयातक/संभरक को देने होंगे।

अनुबन्ध-4

(प्राधिकारपत्र का प्रपत्र)

सं० : एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान),

विषय : येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० .... के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा खुले आम ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री .... के नाम में .... येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी०एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया गया भुगतान के बाद ओ०ई०सी०एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की पूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०ई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल है, क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों/आयातकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक/आयातकों को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी०एफ० में नहीं किया जा सकता। जैसे ही आपको भुगतान किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

यह प्राधिकारपत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र .... तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:--

1. आयातक .... को उनके पत्र सं० .... दिनांक .... के सन्दर्भ में।

2. आयातक के बैंक ....। उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व वह धन राशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या-184 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या-233 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, संख्या-132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, संख्या-74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या-103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एब्राड परचेसिज अन्डर क्रेडिट लोन एग्रीमेंट 1982-83 के लिए 4.8 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईडीपी-22 फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान से ऋण" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उसके चालान का मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण

विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं०, दिनांक 24-10-1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चे ब्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी शामिल हैं) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतुल्य रुपए अदा करने पर ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित सलाह बैंक आफ इंडिया, टोकियो/भारतीय दूतावास जापान में सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्र पार आर्थिक सहयोग निधि, टेक्कमी भगूडी बिल्डिंग, 4-1, ओहाटमेची-1 कोमे, चियोडा-कू, टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

फार्म ओ० ई० सी० एफ०ए०ई०सी०।

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(माल के लिए लागू)

सेवा में, दिनांक············

प्रिय महोदय ······	यह साख पत्र (ऋणी) और
········	विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
················	के बीच हुए ऋण करार
(संभरक का नाम और	सं०·················
पता)	के दिनांक············
	के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम से निकालने के के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध राशि या राशियों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं०··················खोल दिया है जो ······ येन (····· ··············येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक
क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिसमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेट एवं नोटीफाई"

अन्य दस्तावेज जिसमें ·······से············ तक लदान का समयापन दिया गया हो संविदा संख्या·······················(यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत हैं, वाहनांतरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो··· ····· ··से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशती को·········19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए "अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० ··········दिनांक ··········198 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।"

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंट्स क्रेडिट्स) 1974 (रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स पब्लिकेशन संख्या 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंकों के लिए विशेष अनुदेश :—

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सैट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज शीघ्र ही हवाई डाक द्वारा ·····················को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए हैं।

भवदीय

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा················

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

1. यह भुगतान हमारी साख पत्र सं० .... का अभिन्न अंग है ।

1 प्रारंभिक भुगतान
धनराशि .... येन जो कि कुल
संविदा मूल्य के .... प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)
धनराशि .... येन जो कि
कुल संविदा मूल्य का ....
प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान ....
..........धनराशि .... येन
संविदा के कुल मूल्य का ....
प्रतिशत है ।

टिप्पणी :—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबन्ध 6

(प्रपत्र ओ० ई० सी० एफ० एल० सी०-2)

अपरिवर्तनीय साख पत्र
(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक ....

सेवा में,

....	यह साखपत्र ऋणी और विदेशी
....	आर्थिक सहयोग निधि के बीच
....	हुए ऋण करार सं० ....
....	दिनांक .... के
(संभरक का नाम व पता)	अनुसरण में जारी किया गया है

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० .... खोल दिया है जो कि .... (येन .... पहले) की मूल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा .... और परियोजना ....) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी करना है । सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट .... में पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० .... दिनांक .... के अन्तर्गत भुना लिया गया है; ये चिह्नित होने चाहिएं ।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक बताया न जाए, यह क्रेडिट (यूनिफार्म कस्टम एवं प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्) 1974 (रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लीकेशन सं० 290 के अधीन हैं ।

सौदा करने वाले बैंकों को विशेष अनुदेश :—

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत) अधिकारी द्वारा जारी किए गए निष्पादन के लिए मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिएं। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाय लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों में धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे में उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातक/संभरकों के लेखे के लिए हैं ।

भवदीय

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं०
का एक अभिन्न अंग है ।

1 प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत
है अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अन्तिम
भुगतान तिथि

2 भुगतान अन्य

सम्पूर्ण योग की धनराशि येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है —

धनराशि	अंतिम भुगतान तिथि
येन . . .	. . . . . .

पहली किश्त येन .
दूसरी किश्त येन .

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

संदर्भ

सेवा में

. . . .

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ — ऋण करार सं० के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित के नाम में येन के लिए द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं० दिनांक में अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतदद्वारा . . . और के बीच समझौता संख्या दिनांक . . . में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा . . . की धनराशि (. . . येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं ।

(. . .)
(ऋणी)

द्वारा . . .
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश —

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा ।

प्रतिपूर्ति की क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिये ऋण की रकम के वितरण के लिये क्रियाविधि निम्नलिखित सम्पूरक शर्तों के साथ संलग्न प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी

प्रति जापानी येन के लिये भारतीय रुपये की विनिमय दर मार्ग निर्देशन के खंड 4.07 में यथा निर्दिष्ट बोली आरम्भ होने की तिथि को दिये गये निर्णय के अनुसार होगी। प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ ऋणी बोली आरम्भ होने के दिन येन रुपया विनिमय की दर प्रमाणित करते हुए मान्यता प्राप्त बैंक से एक बैंक प्रमाण पत्र भी भेजेगा ।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि

प्रतिपूर्ति क्रिया विधि

1 ऐसी क्रियाविधि का अनुसरण उन मामलों में करना है जिनमें निधि के वित्तदान के लिये उपयुक्त खर्चे पहले ही कर लिये गये हों । ऐसे खर्चों में निम्नलिखित खर्चे शामिल हैं

1 निर्दिष्ट माल के संभरकों को भुगतान, या

2 सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये भुगतान या परिवहन, बीमा आदि सेवाओं के लिये भुगतान, या

3 सिविल कार्य ठेकों (इंजीनियरी, निर्माण और संस्थापन) के अन्तर्गत भुगतान

ये भुगतान साखपत्र के अन्तर्गत या अन्य रूप से किये जा सकते हैं । संबंधित ठेकों की शर्तों पर निर्भर करते हुए भी ऐसे भुगतानों में माल के निर्माण, आवधिक या आंशिक सेवायें प्रदान करने या सिविल कार्यों के ठेकों के अन्तर्गत कार्य की प्रगति के मद्दे किये गये पूर्ण समझौता भुगतान, या अपूर्ण भुगतान या आंशिक (प्रगति) भुगतान हो सकते हैं

2(1) ऊपर उल्लिखित खर्चों के लिये अदायगी का दावा संलग्न प्रपत्र ओ०ई०सी० एफ०—आर०एम०पी० में अदायगी के लिये आवेदन भेजकर किया जा सकता है

जिन मामलों में निधि स्थानीय मुद्रा (अर्थात् ऋणी के देश की मुद्रा) में किये गये खर्चे के मद्दे ऋण में से विदेशी मुद्रा देने के लिए सहमत हो गई हो उनमें आवेदन जापानी येन के अनुसार किया जायगा और मांगी गई धनराशि स्थानीय मुद्रा के वास्तव में किये गये खर्चों की सहमति प्राप्त

भाग होगी। ऐसी स्थानीय मुद्रा की प्रति जापानी येन विनिमय दर निधि और ऋणी के बीच अलग से तय की जायगी।

इस बात का सुनिश्चय करने का ध्यान रखना चाहिये कि निधि को आवेदन उस तिथि से कम से कम दस (10) दिन पहले पहुंच जाय जिस तिथि को अदायगी की जाती है (2) इस क्रिया विधि के अन्तर्गत अदायगी के लिये आवेदन पत्र और उसमें संलग्न संक्षिप्त विवरण पत्र निधि को दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे और दोनों प्रतियां ऋणी या उसके मनोनीत प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षरित होंगी। आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज (केवल एक प्रति) भेजे जायेंगे। मूल दस्तावेज भेजना आवश्यक नहीं है फोटो स्टेट प्रति ही पर्याप्त होगी :—

(2) किये गये भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए निरस्त किया गया बैंक का चैक डिमान्ड ड्राफ्ट या समान दस्तावेज भुगतान की तिथि और धनराशि को प्रदर्शित करते हुए एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

यदि ऐसी सेवायें माल के आयात (अर्थात् भाड़ा) बीमा भुगतान से संबंधित हैं तो पर्याप्त विवरण देना चाहिये जिससे कि जिस विशेष माल की लागत निधि द्वारा चुकाई गई है या चुकाई जानी है उस माल से निधि इन मदों में से प्रत्येक को संबंधित कर सके।

(ङ) सिविल कार्यों के ठेकों के अन्तर्गत भुगतानों के लिए

(1) पूर्ण किये जाने वाले निर्माण/इंजीनियरी कार्य के ब्यौरे देते हुए ठेका और उसके लिये भुगतान की शर्तें,

(2) ठेकेदार द्वारा पूर्ण किये गये कार्य और उसके लिये मांगी गई धनराशि का पर्याप्त ब्यौरा देते हुए ठेकेदार मांग बिल या बीजक

(3) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है और संबंधित ठेके की शर्तों के अनुसार है ऐसे प्रमाणपत्र पर ऋणी द्वारा परियोजना के लिये मनोनीत मुख्य इंजीनियरी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

(4) ठेकेदार को किये गये भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए बैंक का निरस्त किया गया चैक भुगतान की तिथि और धनराशि को प्रदर्शित करते हुए ठेकेदार से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

3. उपर्युक्त सभी मामलों में यदि भुगतान साखपत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया गया हो तो इस अनुबंध से सलग्न प्रपत्र ओ ई सी एफ आर एम पी-1 में ऐसे बैंक से एक रिपोर्ट विनिमय बिल क्रासड चैक आदि के बदले में प्रस्तुत की जा सकती है।

3 निधि यह जांच करने के बाद कि अदायगी के लिये आवेदन पत्र सही ही है ऋण समझौता के उपबन्धों और सम्बद्ध ठेके की शर्तों के अनुसार है तो वह जापान के नियमों और विनियमों के अनुसार आवेदन पत्र में यथा निर्दिष्ट तिथि टोकियों के विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत बैंक में अनावासी स्वतंत्र येन लेखे मे ऋणी को जापानी येन में आवेदित धनराशि अदा करेगी। ऐसी अदायगी ही ऋण का वितरण होगी।

(क) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान के मद्दे संभरकों को किया जाने वाले भुगतानों के लिये :—

(1) जो माल संभरित किया गया है/लादा जा रहा है उस की मात्रा और कीमतें निर्दिष्ट करते हुए संभरक से बीजक

(2) बीजक में सूचीबद्ध माल के पोतलदान/सुपुर्दगी का साक्ष्य देते हुए लदान बिल या समान दस्तावेज

(3) संभरक को किया गये भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए मुद्रा विनिमय बिल या इसी प्रकार के दस्तावेज भुगतान की तिथि और धनराशि दर्शाते हुए संभरक से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(ख) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान से पहले संभरक को किये गये भुगतानों के लिये :—

(1) कर ठेका या क्रयादेश जिसके अधीन भुगतान किया गया है

(2) संभरक को किये गये भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए विनिमय बिल या इसी प्रकार के दस्तावेज भुगतान की तिथि और धनराशि को दर्शाते हुए संभरक से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(ग) सलाहकारों की सेवाओं के लिये भुगतान के लिये:

(1) प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और उनकी अवधि का ब्यौरा देते हुए सलाहकारों के साथ ठेके और भुगतान की शर्तें

(2) सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गई अवधि और उनको चुकाने योग्य धनराशि के पर्याप्त ब्यौरे निर्दिष्ट करते हुए सलाहकारों द्वारा मांगी गई धनराशि,

(3) सलाहकारों को किये गये भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए निरस्त बैंक चैक डिमान्ड ड्राफ्ट या समान दस्तावेज भुगतान की तिथि और धनराशि प्रदर्शित करते हुए सलाहकारों से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(घ) अन्य अर्पित सेवाओं के लिये भुगतान के लिये:—

(1) अर्पित सेवाओं के स्वरूप और उनके लिये अदा की गई धनराशि को निर्दिष्ट करते हुए बिल दावा या बीजक

4. यह नोट कर लिया जाये कि उपर्युक्त पैरा 2(2) में उल्लिखित सभी मामलों में निधि द्वारा आबंटन किये गये विशेष खर्चों के मददे किये जाते हैं । लेकिन यह भी सम्भव है कि कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर ऋण के एक विशेष भाग का आबंटन करने के लिये निधि सहमत हो जाये । ऐसे मामलों में वास्तविक खर्चे मुद्रा विशेष में उपलब्ध न होने के कारण निधि जापानी येन मे अदायगी के लिये आवेदन स्वीकार कर लेगी । जब तक निधि द्वारा अन्य प्रकार से वांछित न हो या सहमति न हो प्रत्येक आवेदन पत्र नीचे निर्दिष्ट सूत्रों पर एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा । प्रमाणपत्र का खंड/परियोजना के लिये ऋणी द्वारा मनोनीत मुख्य इंजीनियरी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और खंड 2 ऋणी की ओर से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

प्रमाण पत्र (खंड-1)

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक .... को .... से संबंधित कार्य की प्रगति .. .. प्रतिशत थी ।

हस्ताक्षर

नाम

ओहदा या पदनाम

....

(प्रमाण पत्र खंड -2)

कार्य की प्रगति के आधार पर निधि के ऋण की धनराशि येन .... (....... येन) है उपर्युक्त खंड -1 में प्रमाणित प्रतिशतता के आधार पर ऋण के आबंटन के लिए देय धनराशि येन .... (.............. येन) आती है । येन .... (.................... येन) की धनराशि आवेदन सं० .... तक और उसके सहित अदायगी के लिए आवेदनों पर पहले ही आबंटित कर दी गई है और येन .... (..... .... येन) की शेष धनराशि का आबंटन करने के लिए अब आवेदन किया जाता है

(...............)

ऋणी का नाम

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र : ओ० ई० सी० एफ० – आर एम पी

अदायगी के लिए आवेदन-पत्र

दिनांक :

ऋण सं०

परिशिष्ट क्रम सं०

सेवा में

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
टोकियो, जापान ।

ध्यानाकर्षण : प्रबन्धक ऋण विभाग ।

महानुभाव,

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जिसे इसके बाद निधि कहा गया है) और (ऋणी) के बीच ऋण समझौता सं० .... दिनांक .... के अनुसार अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा संलग्न सारांश पत्र(ों) में यथाउल्लिखित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए उक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत येन .... (अर्थात् .... येन) की धनराशि की अदायगी के लिए आवेदन करता है ।

2 अधोहस्ताक्षरी ने संलग्न सारांश पत्र(ों) में उल्लिखित खर्चों की अदायगी या प्रतिपूर्ति के लिए ऋण से किसी भी धनराशि की अदायगी के लिए पहले कभी आवेदन नहीं किया है । यदि कोई लघु-अवधि के ऋण या उधारखाता हो जो इस आवेदन पत्र में आवेदित प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में स्थापित किए गए हों और इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत अदा की जाने वाली निधि के साथ पूर्ण-रूपेण चुकाने के लिए खोले गए हों तो ऐसे प्रत्याशित लघु-अवधि के ऋणों पर चुकाए गए खर्चे कमीशन या ब्याज इस आवेदन पत्र में आवेदित अदा की जाने वाली धनराशि में शामिल नहीं है । ऐसे लघु अवधि के ऋणों को छोड़कर अधोहस्ताक्षरी ने उस को उपलब्ध किसी भी अन्य रुप, उधार या अनुदान में से ऐसे कार्य के लिए न तो कोई निधि प्राप्त की है और न करेगा ।

3. अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता है कि :—

(क) एतदद्वारा अदा करने के लिए मांगे गए खर्चे ऋण समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों पर किए गए थे ।

(ख) इन खर्चों से खरीदे गए माल और सेवाए उक्त ऋण समझौते के अनुसार निधि के साथ तय की गई लाभ अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्त किए गए हैं और उनकी खरीद की लागत और शर्तें उचित है।

(ग) उक्त माल और सेवाओं की आपूर्ति संलग्न सारांश पत्र(ों) में उल्लिखित संभरक(ों) द्वारा की गई थी या की जाएगी और निधि के ऋण के लिए (या सेवाओं के मामले में, से संभारित) देश (देशों) को प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) अधोहस्ताक्षरी को जहां तक जानकारी एवं विश्वास है इस आवेदन पत्र की तिथि तक ऋण समझौते के अन्तर्गत और न किसी भी गारन्टी के अन्तर्गत कोई भी चूक नहीं हुई है ।

4. कृपया .... के ....
(लेनदार)

....

(टोकियो में प्राधिकृत विदेशी मुद्रा बैंक का नाम और पता)

के साथ गैर-आवासी स्वतन्त्र येन लेखों में ....
(अदायगी की तिथि)

को चुका कर इस आवेदन पत्र में आयोजित धनराशि अदा करें ।

5. इस आवेदन पत्र में .... और .... हस्ताक्षरित सारांश पत्र है।
(संख्या)

....
(ऋणी का नाम)

द्वारा ....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र ओ ई सी एफ-आर एम पी-एम एम

दिनांक

ऋण सं०

आवेदन पत्र की क्रम सं०

सारांश शीट सं० ....

श्रेणी/उप-श्रेणी की संख्या और शीर्षक

(10 मदों से अधिक के लिए उसी तरीके से अतिरिक्त शीटों का उपयोग करें)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रम सं०	सुपुर्दगी की तारीख	उद्गम का देश	माल और उपस्कर ठेके या सेवाओं का क्रय आदेश की विवरण से और दिनांक		संभरक का भुगतान नाम और की तिथि पता		अदा की गई धनराशि — स्थानीय मुद्रा विनिमय में (प्रति येन)	दावा की गई धनराशि सहमत भाग (9/3%)	किए गए भुगतान की किस्म	अभ्युक्ति
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
कुल										

टिप्पणी.—कालम 9 तक प्रत्येक मद के सामने संकेत किया जाना है, चाहे भुगतान तत्क्षण भुगतान के रूप में हो या किस्तों में (यदि ऐसा है तो किस्तों की संख्या) दावा किए गए के अनुसार पूर्ण अंतिम भुगतान हो ।

ओईसीएफ- आर एम पी- 1

भुगतान की वाणिज्यिक बैंक की रिपोर्ट

दिनांक ....

सेवा में

....

(ऋणी या ऋणी के प्रतिनिधि का नाम और पता)

महोदय

हम .... के लेखे के लिए ....
(क्रेता का नाम और पता)

.... द्वारा स्थापित ....
का नाम और पता (संगत बैंक)

साख पत्र सं० .... को
के अन्तर्गत (संभरक का नाम और पता)

.... को .... की
(भुगतान की तिथि) (धनराशि की मुद्रा)

धनराशि अदा करने के बाद सूचना देते हैं । हमारे भुगतान का कमीशन .... धनराशि बनती है ।
(धनराशि की मुद्रा)

भुगतान यथा विनिर्दिष्टकृत दस्तावेजों की सुपुर्दगी के मुद्दे और .... से ....

(पोतलदान का पत्तन)

.... को ....

(गन्तव्य स्थान) (सौदे का सामान्य विवरण मात्रा आदि सहित)

के पोतलदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उपर्युक्त साख पत्र की शर्तों के अनुसार किया गया।

समग्री दस्तावेज हमारे उपर्युक्त संगत बैंक को भेज दिए गए हैं। संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है।

भवदीय

....

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 25 ITC(PN)|83

New Delhi, the 28th July, 1983

SUBJECT :— Licensing conditions for imports of machinery & services under the yen credit of Yen 4.8 Billion for the implementation of the Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project

File No. IPC|83(4)|83.—The terms and conditions for imports of machinery & services under the yen credit of Yen 4.8 Billion for the implementation of the Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan, as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN CHIEF CONTROLER
IMPORTS & EXPORTS

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE No. 25—ITC(PN|83 DATED 28-7-1983.

Licensing Conditions for Iimports of Machinery and services under the yen credit of Yen 4.8 Billion for the Implementation of the Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan

Section 1—General Conditions :

I(i) The yen Credit of 4.8 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project is untied in favour of Japan and developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure—I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence (s) under the credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CG Committee. The value of import licence (s) issued under this credit should not exceed —5,000 million (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence (s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence (s) at the exchange rate specified on the import licence (s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 22". The first and second suffiix to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to the Indian Railways, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence (s) can be issued only in favour of the Indian Railways on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of the Indian Railways more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y5,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by the Indian Railways, be granted upto 31-12-87. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment's however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on C&F basis on the Overseas Supplier located in the countries mentioned in Annexure—I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas

supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Minisry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorites for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

"...............Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of ....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-87.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure--II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in atleast one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

(a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested so that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

(e) The Borrower shall obtain the prior approval of the Fund, if the Borrower wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods & services to be financed out of the proceeds of the Loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method (s) signed by a duly authorized person together with its reasoning.

(f) Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the Borrower shall submit to the Fund for its apporval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, general conditions of contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering;

(ii) Informal International Competitive Procurement;

(iii) Direct Purchases from a single supplier.

The Indian Railways shall submit to the Fund (OECF) immediately after conclusion of the Loan Agreement for its approval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, general conditions of contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding. These documents may be forwarded to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, in duplicate, for onward submission to the OECF.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.22 for 1982-83 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or Juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in................(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100\text{"}}{\text{Supplier's FOB Price (Where applicable Ex-factory Price)}}$$

and

"I. the undersigned, hereby certify that .... (Name of company) has been incorporated and registered in.................(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating for a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) of the price per unit of such products in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty X } 100\text{"}}{\text{Supplier's FOB Price (in case of Indian Suppliers, Ex-factory Price Piece shall adopted)}}$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 23rd February, 1983 concerning the Yen Credit No. ID-P.22 (Project Aid) for Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P.22 dated 23-2-1983 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangement by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply of contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both Indian Railways and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract

documents to the OECF for their approval for financing under Yen credit No. ID-P.22 (Project Aid) for Calcutta Metro Railways (Phase II) Construction Project.

Section V Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, Indian Railways and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the Indian Railways should approach the Controller of Aid Accounts and Audit (hereinafter referred to as the CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of auhorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) of VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letter of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation|letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the Letter of Credit will be either to the account of overseas suppliers or the impoter. B.O.I., Tokyo will, therefore, recover all these charges from the suppliers' Bank or the importer, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers|importer.

For the time lag between the dates of payment of the C&F cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF, the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M|O Finance) on 25-3-1980. And get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassya of India in Japan will be recovered from the Indian Railways (vide Section VI (iv) infra.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974.

The importer will take delivery of the imported goods only after producing the original shipping documents obtained from the Banker after depositing the rupee equivalent of the foreign currency payment made to the supplier. Permission of the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi should be obtained for any departure from this procedure. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 109-ITC(PN)|74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad Purchase under credits|Loan Agreements" Loan from the Government of Japan—4.8 Billion Yen Credit No. ID-P. 22 for Calcutta Metro Railways (Phase II) construction Project. The provisions regarding calculation and deposits of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)|76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges

within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :-

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post of the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importers' Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo to B.O.I., Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and the payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of payment". Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 22 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures

Annexure-I	List of eligible source countries
Annexure-II	Broad Guidelines for Procurement
Annexure-III	Request for issue of Letter of Authority
Annexure-IV	Form of Letter of Authority
Annexure-V	Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports)
Annexure-VI	Form of Letter of Credit (Applicable to Services)
Annexure-VII	Reimbursement Procedure.

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho

Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Cont
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba. Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

AMERICA. North & Central (Continued)

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA. South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
Coek Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)

(1) Main islands : Antigue, Dominica. Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman. Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands and Marine Islands (except Guam).

Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE
Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Main Guidelines for Procurement of Goods and Services under the Project Loan as Formulated by O.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in atleast one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid Bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3. Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

(1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,

(2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries and

(3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works. No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as ———per cent (%)

of the shares are held by nationals of ———— (eligible source country) and ————per cent (%) of the directors are nationals ———— (eligible source country) and my (our) company has been registered in ———— (eligible source country)".

IV-1. Standards

If nationals standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribed brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicity at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially con-

form to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modifications in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request for issue of the Letter of Authority

NO. DATE

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Import of ———— from under the Yen Credit OECF Loan Agreement No. ————

Sir,

In connection with the import of ———— from ———— under the above mentioned Yen Credit OECF Loan Agreement No. ———— we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ———— (name of the Bank which should be the same as given in (p) below) for opening a letter of credit in favour of the overseas suppliers concerned:—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International Tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross C&F value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(i) Net C&F value in Yen payable to Overseas Suppliers for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of Sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transshipment|part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and Address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the Number, date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importer|Supplier.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ———— Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980, entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen ———— favouring M|s. ———— as per attached details.

A copy each of the Letter of Credit opened by your Bank may be endorsed to the importers' Bank; to the OECF, Embassy of India. Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit, as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers, if any, are to be borne by the overseas suppliers|importer. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L|C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L|C or further fresh L|Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto ————————.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer ———————— with reference to their letter No. ———— dated ————.

2. Importers' Banker ————————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc. abroad under Purchases under Credit|Loan Agreements" Loans from the Government of Japan—4.8 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 22 for 1982-83.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Strees, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs,

New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo|Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku-Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE—V

Form OECF—LC I

Irrevocable Letter of Credit (Applicable for goods) Date :

To

——————

——————

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ——— dated——— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable Credit No.———in your favour for account of ———for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen———(say Yen———) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :—

Signed commercial invoice in Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freignt" and "Notify "

Other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. (if any) from to Partical shipments are permitted. Transhipment is permitted.

Bills of lading must be dated not later than......

Drafts must be presented for negotiation not later than.........................

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No. ———, dated and Import Reference No.(s). (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision). International Chamber of Commerce Publication No. 290."

Special Instruction to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to———.

3. All banking charges under this Credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

———

(Commercial bank)

By ———

(Authorised signature)

PAYMENTS TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.———.

I. Initial Payment.

Amount : Yen———
being———% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Yen———.
being———% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount Yen———.
being———% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against Shipping Documents.

ANNEXURE—VI

Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit (Applicable for Services) Date :

To :

————————— This letter of credit has been issued pursuant to Loan Agreement No——— dated————between (Borrower) and THE OVESREAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

—————————

(Name and address of the Supplier).

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen ————(Say Yen——————) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No.) with regard to ———— Project. Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Publication No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's statement is required instead of the abovementioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipts thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/Supplier.

Yours faithfully,

—————

(a commercial bank)

By: —————

(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. —————.

I. Initial Payment

Amount: Yen——————

being—————%of the total contract price.

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount: Yen——————

being—————% of the total contract price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
	—————	—————
1st instalment Yen	—————	—————
2nd instalment Yen	—————	—————

Required documents: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

To : Ref. No.

—————————

—————————

(Name and address of the Supplier).

Re: Letter of Credit No.————dated———, issued by——————— for Yen————in favour of ——— concerning————Project.

under Loan Agreement No.——————.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle—————. to receive the sum of Yen———(Yen————only)

from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.————, dated ————, between———— and ————.

————————
(Borrower)

By: ————————
(Authorised signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

ANNEXURE—VII

Reimbursement Procedure :

Procedure for disbursement of the proceeds of the Loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT Procedure attached hereto, with the following supplemental stipulation.

The exchange rate of Indian Rupees per Japanese Yen shall be as ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07 of the Guidelines. Along with the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognised bank certifying the Yen—Rupee exchange rate on the day of bid opening.

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

REIMBURSEMENT PROCEDURE

1. This procedure is to be followed in cases where expenditures, eligible for the Fund's financing, have already been incurred. Such expenditures may represent:

(i) payments to suppliers of specified goods; or

(ii) payments for services rendered by consultants or for services such as transportation, insurance, etc.; or

(iii) payments under civil works (engineering, construction, and installation) contracts.

These payments may have been made under a letter of credit or otherwise. Also, depending upon the terms of relevant contracts, such payments may represent the final settlement payments, or down payments or part (progress) payments against manufacture of goods, periodical or partial rendering of services or periodical progress of work under civil works contracts.

2. (1) Reimbursements for expenditures described above may be claimed by sending the Request for Reimbursement in the Form OECF—RMP attached hereto.

In cases where the Fund has agreed to provide, out of the Loan, foreign exchange against expenditure in local currency (i.e. currency of the country of the Borrower), the Request shall be made in terms of Japanese Yen and the amount claimed shall be the agreed portion of local currency expenditures actually incurred. The exchange rate of such local currency per Japanese Yen shall be agreed upon separately between the Fund and the Borrower.

Care should be taken to ensure that the Request reaches the Fund at least ten (10) days before the date on which reimbursement is made.

(2) The Request for Reimbursement under this Procedure including the Summary Sheet (s) attached thereto shall be presented in two copies to the Fund and both copies shall be signed by the Borrower or designated authority. The following documents shall be furnished (in one copy only) in support of the Request. It is not necessary to furnish original documents; a photostat copy will suffice.

(a) For payments to suppliers against delivery/shipment of goods—

(i) supplier's invoice specifying the goods with their quantities and prices, which have been or are being supplied/shipped;

(ii) bill of lading or similar document evidencing shipment/delivery of the goods listed on the invoice;

(iii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and the amount of payment would also suffice.

(b) For payments to suppliers made prior to delivery/shipment of goods—

(i) the contract or purchase order under which payment has been made;

(ii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and amount of payment would also suffice.

(c) For payments for consultants' services—

(i) the contract with consultants detailing the nature and duration of services, to be rendered and terms of payment;

(ii) the claim put in by the consultants indicating, in sufficient details, the services rendered, period covered, and amount payable to them;

(iii) cancelled bank cheque, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made to the consultants; a simple receipt from the consultants showing the date and amount of payment would also suffice.

(d) For payments for other services rendered—

(i) the bill, claim or invoice specifying the nature of services rendered and amounts charged therefor;

(ii) cancelled bank check, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made; a simple receipt showing the date and amount of payment would also suffice.

In such services relate to importation of goods (e.g. freight, insurance payments) adequate references shall be given to enable the Fund to relate each of these items to the specific goods to cost of which has been or is to be financed by the Fund.

(e) For payments under civil works contracts—

(i) the contract detailing the construction/engineering work to be performed and terms of payment therefor;

(ii) the claim bill or invoice of the contractor showing, in sufficient detail, the work performed by the contractor and amount claimed therefor;

(iii) a certificate to the effect that the work performed by the contractor is satisfactory and in accordance with the terms of the relevent contract, such certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project;

(iv) cancelled bank cheque for similar document evidencing the date and amount of payment made to the contractor; a simple receipt from the contractor showing the date and amount of payment would also suffice.

(3) In all the above cases, if payment has been made through a commercial bank under a letter of credit, a report from such bank in the Form OECF-RMP-1 attached hereto, can be furnished in lieu of bill of exchange, crossed cheque etc.

3. When the Fund, after examination, finds the Request for Reimbursement in order and in conformity with the provisions of the Loan Agreement and the terms of the Contract concerned, the Fund shall reimburse the requested amount in Japanese Yen by paying it into a non-resident free yen account to be opened by the Borrower with an authorised foreign exchange bank in Tokyo, in accordance with the relevant laws and regulations in Japan, on the date as specified in the Request. Such reimbursement shall constitute a disbursement of the Loan.

4. It may be noted that in all the cases described in paragraphs 2(2) above, the Fund's disbursements are to be made against evidence of specific expenditures incurred. It is, however, possible that the Fund may have agreed to disburse a specified portion of the loan amount on the basis of physical progress of work. Evidence of actual expenditures in specific currencies being not available, in such cases, the Fund will accept the Request for Reimbursement expressed in Japanese Yen. Each Request, unless otherwise required or agreed by the Fund, shall be supported by a certificate on the lines indicated below. Part I of the certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project; Part II of the certificate shall be signed by the person(s) authorised to sign the Request on behalf of the Borrower.

CERTIFICATE (PART I)

Date.....................

It is certified that as of..............................

progress of the work relating to..........................

was..........................per cent.

Signature :

Name :

Title or designation :

CERTIFICATE (PART II)

Date.................. .

The amount of the Fund's loan on the basis of progress of work is Yen ....(Say Yen ....); on the basis of percentage certified in Part I above, the amount due for disbursement of the loan comes to Yen .... (Say Yen.................). An amount of Yen .... (Say Yen........................) has already been disbursed under the Requests for Reimbursement upto and including the Request No.....................and the balance of Yen ....(Say Yen . ...) is now requested to be disbursed.

....

(name of Borrower)

By ....

(Authorized Signature)

Form : OECF-RMP

Request for Reimbursement

Date :

Loan No. :

App. Serial No.

To : THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Tokyo, Japan.

Attn. : Manager, Loan Department.

Gentlemen :

1. Pursuant to the Loan Agreement No........... , dated.......................between the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter referred to as the Fund) and (Borrower), the undersigned hereby requests for reimbursement under said Loan Agreement of the sum of Yen .... (say Yen..........................) in reimbursement of expenditures as described in the attached Summary Sheet(s).

2. The undersigned has not previously requested for reimbursement of any amounts from the Loan for the purpose of reimbursing or of meeting the expenditures described in the attached Summary Sheet(s). The undersigned has not obtained nor will obtain funds for such purpose out the proceeds of any other loan, credit or grant available to the undersigned except short-term loans or credits, if any, established in anticipation of the reimbursement requested for herein and to be repaid protanto with the funds reimbursed hereunder and any charges, commission or interest paid or payable under such anticipatory short-term credits are not included in the amount herein requested to be reimbursed.

3. The undersigned certifies that—

(a) the expenditures, hereby sought to be reimbursed, were made for the purpose specified in the Loan Agreement;

(b) the goods and services purchased with these expenditures have been procured in accordance with the applicable procurement procedures agreed with the Fund pursuant to the said Loan Agreement and the cost and terms of purchase thereof are reasonable;

(c) the said goods and services were or will be supplied by the supplier(s) specified in the attached Summary Sheet(s) and were or will be produced in (or, in the case of services, supplied from) the eligible source country (countries) for the Fund's loan.

(d) as of the date of this request there is no existing default under the Loan Agreement, nor, to the best of the undersigned's knowledge and belief, under the Guarantee, if any.

4. Please reimburse the amount requested for herein by paying into the non-resident for free yen account of.......................................
payee

with ....
(name and address of an authorised foreign
.....................................on.................................
exchange bank in Tokyo) (date of reimbursement).

5. This request consists of..............page(s)
number
and...... ....signed and numbered summary
number
sheet(s).

(Name of Borrower)

By : ....

(Authorised Signature)

Form : OECF-RMP-SS

Date :
Loan No. :
App. Serial No. :

Summary Sheet No.————————————

No. and Title of Category/Subcategory——————————

(For more than ten items use additional sheet(s) with same number).

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Item No.	Delivery date	Country of origin	Description of goods and services	No. and date of supply contract or purchase order	Name and address of supplier	date of payment	Amount paid		Amount claimed	Nature of payment made	Remarks
							In local currency	Exchange rate (per Yen)	agreed portion 9/8,%)		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Total											

Note : Column 9 is to indicate, against each item, whether the payment is a down-payment, or an instalment payment if so, the number of instalment) or the final payment in full settlement.

————————
(Name of Borrower)

By:————————
(Authorised signature)

OECG-RMP-I

Commercial Bank's Report of Payment

Date :

To :

....
(Name and address of Borrower or Borrower's Representative)

Gentlemen :

We report having paid the sum of......................
....on
(Currency and amount)

....
(date of payment)

to..
(name of supplier with address)

under L/C No. .... established by
....
(name and address of correspondent bank)

for account ....
(name and address of buyer)

....

Our payment commission amounts........................
(currency and amount)

Payment was effected against delivery of the documents as specified in and in accordance with the terms and conditions of the Letter of Credit mentioned above evidencing shipment of..............................

....

(general description of the merchandise including the quantity, etc.).

from.................................to............................

(Port of shipment) (destination)

Ocean documents have been forwarded to our above-mentioned correspondent bank. Copy of the supplier's invoice is attached.

Yours truly,

....

(a commercial bank)

By ....

(Authorized signature)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983